न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	न अ हु
21.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। शेष प्रतिवादी संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होकर लौटी है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से वादपत्र में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश वाद पत्र पत्रावली दिनांक 07.03.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
07.03.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
251/2009	2009/24	08.10.2024	07.03.2025

उनवान प्रकरण

1. सोनाराम पुत्र स्व0 बींजाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी सामोतावाली तन् नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर–– मृत्तक

1/1 जैसाराम

1/2 रामेश्वर लाल

1/3 बंशीधर

1/4 भागीरथ सिंह

1/5 मोहनलाल

1/6 रामचन्द्र सिंह

1/7 सांवरमल

पुत्रगण स्व0 सोनाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी सामोतावाली तन् नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

–वादीगण–

Signature Not Verified
बनाम्
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. बदी पुत्र स्व0 शिवदान उर्फ श्योदान जाति जाट निवासी ढाणी सामोतावाली तन नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3. मैनेजर, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नांगल तहसील श्रीमाधोपुर।

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

श्री भॅवर सिंह चौधरी , एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री अशोक कुमार पालीवाल, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 628, 660 कुल किता 2 कुल रकबा 4.25 हैक्टर तन् ग्राम नांगल (नाथूसर) स्थित है जिसके 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 2183, 2184, 2190, 2191, 2192 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 हैक्टर तन् ग्राम नांगल (नाथूसर) स्थित है जिसके 5/54 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक परिवार से है। प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दू परिवार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पैत्रिक भूमि है। जिसके 1/3 हिस्सा पर वादी व 1/3 हिस्सा पर साधूराम व 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता शिवदान काबिज काश्त चले आ रहे है तथा शिवदान की मृत्यु हो चुकी है। जिसके 1/3 हिस्सा की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु उक्त शिवदान जो परिवार में बडा व कर्त्ता खानदान था। इसलिए अकेले के नाम खातेदारी दर्ज हो गई तथा बाद में जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई। जबकि वादी उक्त भूमि के 1/3 हिस्सा पर वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए उक्त 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता शिवदान ने ईकरारनामा समझौता लेख दिनांक 28.09.1962 को तहरीर तकमील करवाया था। जिसके अनुसार वादी अपने नाम अपने 1/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि की खातेदारी दर्ज करने हेतु कहा तो हां करता रहा परन्तु अब प्रतिवादी के मन में जमीन की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर बदनियती आ गई है। इसलिए अर्सा 10 रोज पूर्व इन्कार हो गया तथा वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी जाने पर बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र पेश कर विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 628, 660 कुल किता 2 कुल रकबा 4.25 हैक्टर तन् ग्राम नांगल (नाथूसर) तहसील श्रीमाधोपुर में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 में से 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किये जाने व कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 2183, 2184, 2190, 2191, 2192 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 हैक्टर तन् ग्राम नांगल (नाथूसर) तहसील श्रीमाधोपुर में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 5/54 में से 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी दर्ज किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने कि वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 तामील साधारण तरीके से करवाई गई। असालतन तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर स्वीकार होने पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नांगल तहसील श्रीमाधोपुर को प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिस्थापित किया जाकर इनकी तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सोनाराम व वादी साक्ष्य गवाहान् में झूंथाराम पुत्र भगताराम जाति जाट व सुण्डाराम पुत्र बोदूराम जाति जाट के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। वादी सोनाराम के फौत होने पर उसके कायम मुकामान् वारिसान् को रिकार्ड पर लिये जाकर वादीगण संख्या 1/1 से 1/7 प्रतिस्थापित किये गये। प्रकरण को बहस में रखा गया। वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने बहस हेतु सहमति व्यक्त की। वकील वादीगण के निवेदन पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी जाने पर वकील वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पक्षकारान् के पक्ष में डिक्री होकर वादपत्र को निस्तारण किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर गौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2027–2030, 2062–2065, 2074–2077 की दो जमाबन्दीयां, नक्शा ट्रेस, इकरारनामा दिनांकित 28.09.1962, बयानात गवाहान, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम नाथूसर पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 628, 660 कुल किता 2 कुल रकबा 4.25 हैक्टर तन् ग्राम नांगल (नाथूसर) के 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 2183, 2184, 2190, 2191, 2192 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 हैक्टर तन् ग्राम नांगल (नाथूसर) के 5/54 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 पत्रावली पर उपलब्ध सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार खानदान से होकर पूर्वज बींजाराम की संतानें होना प्रतीत होता है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान् की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सानुसार होना प्रकट होती है। वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में उक्त भूमियों की खातेदारी परिवार में वड़ा व कर्त्ता खानदान होने से पूर्व में शिवदान के नाम तथा शिवदान की मृत्यु के उपरान्त जरिये विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 बद्री के नाम होना तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता शिवदान द्वारा एक इकरारनामा समझौता लेख दिनांकित 28.09.1962 को तहरीर तकमील करवाया जाना अंकित किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से दिनांक 17.11.2009 को न्यायालय से राजीनामा तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। पक्षकार प्रतिवादी द्वारा रा[illegible] कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 में वादग्रस्त [illegible] भूमि पुराने खसरा नम्बर 1163, 1164, 1165, 1166 कुल किता 4 की खातेदारी शिवदान पुत्र बींजा सा. देह के नाम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested

पुरानी जमाबन्दी (सम्वत् अंकित नहीं) में वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर पुराने 2183, 2184, 2190, 2191, 2192 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 हैक्टर की खातेदारी श्योदान पुत्र बींजाराम व अन्य के नाम तथा पुरानी जमाबन्दी (सम्वत् अंकित नहीं) में वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर पुराने 628, 660 कुल किता 2 कुल रकबा 4.25 हैक्टर की खातेदारी शिवदान पुत्र बींजा व अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। राजरे सहित दावे की प्लीडिंग, प्रतिवादी संख्या 1 के पिता शिवदान द्वारा सम्पादित इकरारनामा दिनांक 28.09.1962, बयानात गवाहान् व प्रतिवादी संख्या 1 बद्री के राजीनामें से उक्त भूमियॉ शिवदान उर्फ श्योदान पुत्र बींजा के नाम कर्त्ता खानदान होने से सीधे ही बींजाराम की विरासत से आई होकर उक्त भूमियॉ पैत्रृक भूमि होना तथा बींजाराम के तीन पुत्र शिवदान, साधुराम व सोनाराम होना प्रमाणित है। उक्त भूमियॉ शिवदान उर्फ श्योदान पुत्र बींजा की मृत्यु होने पर जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 1 बद्री के आना रिकार्ड से प्रकट होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित वादग्रस्त भूमियों का पैत्रृक भूमि होना सिद्ध होता है। पत्रावली में प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार बींजाराम के तीन वारिस पुत्र शिवदान, साधुराम व सोनाराम तथा शिवदान की मृत्यु होने पर एकमात्र पुत्र बद्री का होना प्रतीत होता है। वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी शिवदान के परिवार में बड़ा व कर्त्ता खानदान होने से तथा शिवदान की मृत्यु के उपरान्त जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 1 बद्री के नाम दर्ज होना तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता शिवदान द्वारा एक इकरारनामा समझौता लेख दिनांकित 28.09.1962 को तहरीर तकमील करवाया जाकर बींजाराम के तीनों पुत्रों को 1/3 – 1/3 हिस्सा दिये जाने बाबत इकरारनामा में अंकित किया जाना प्रकट होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी भूमियों में शिवदान उर्फ श्योदान के नाम दर्ज हिस्से में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 बद्री व साधुराम पुत्र बींजाराम जाति जाट के नाम 1/3 – 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पैत्रृक भूमि का होने से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 628, 660 कुल किता 2 कुल रकबा 4.25 हैक्टर तन् ग्राम नांगल (नाथूसर) तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से व कृषि भूमि खसरा नम्बर 2183, 2184, 2190, 2191, 2192 कुल किता 5 कुल रकबा 4.18 हैक्टर तन् ग्राम नांगल (नाथूसर) तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 5/54 में से वादीगण संख्या 1/1 से 1/7 (एक साथ), श्री साधुराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी सामोतावाली तन् नांगल (नाथूसर) तहसील श्रीमाधोपुर व प्रतिवादी संख्या 1 बदी प्रत्येक को 1/3 – 1/3 – 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण संख्या 1/1 से 1/7 एंव श्री साधुराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी सामोतावाली तन् नांगल (नाथूसर) तहसील श्रीमाधोपुर के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करे तथा ना ही दीगर से करावे। बैंक ऋण/रहन पूर्वानुसार संबधित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] 25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested